राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/म.स्वा.का/सीधी–भर्ती 2018/ /2019/ 1470 दिनांक: 01.10.19

1. कमला पुत्री श्री बाबूलाल
   आई डी संख्या 4202373

विषय: महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2018 के संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 8370/2019 दायर की है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2019 को निर्णय पारित कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 18.06.2018 के सन्दर्भ में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन में शामिल किये जाने हेतु निर्देशित किया है एवं माननीय न्यायालय के बिना इजाजत के परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये है, के क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2018 के संदर्भ में दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको दिनांक 04.10.2019 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपस्थित होना निर्धारित किया गया है।

अतः आप दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित मूल दस्तावेजो के साथ दिनांक 04.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में उपस्थित होवे।

शेष नियम व शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/म.स्वा.का/सीधी–भर्ती 2018/ /2019/ दिनांक:

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. श्री संजय राजपाल, समन्वयक, एमएनआईटी, जयपुर को उक्त संबंध में हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
3. याचिकाकर्ता को रिट में दिये पते पर।
4. प्रभारी सर्वर रूम,मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर